संख्या-57/2016/2021/52-3-2016-सा(35)/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश। ।
2. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 29 □□□, 2016

विषयः-अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वा अभिभावकों की पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-1941/52-3-16-□□(35)/2016 दिनांक 29.6.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी अनुदान योजना हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के साथ-साथ आवेदन पत्र स्वीकृति एवं वितरण इण्टर नेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने के संबंध में विस्तृत मार्ग-निर्देश निर्गत किये गये है।

2. उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आवेदकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त शासनादेश दिनांक 29.06.2016 में आंशिक संशोधन करते हुये शासनादेश के प्रस्तर-3 में उल्लिखित आन लाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर निम्नांकित प्रक्रिया प्रतिस्थापित की जाती है:-

आन लाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया -

(1) योजना के अन्तगत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा एन0आई0□□0 □□□□□□ □□ विकसित किये गये सॉफ्टवेयर पर पात्र आवेदकों द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थियों को आन लाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन-सुविधा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइ् बर कै फे , निजी इण्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबस इट पर स्वयं भरा जा सकता है।

(3) लोकवाणी के माध्यम से स्थापित ''जन -सुविधा केन्द'' के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने की स्थिति में आवेदक को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम् शुल्क जन-सुविधा केन्द्र प्रभारी को भुगतान करना होगा।

(4) आॅन लाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। यदि आवेदक द्वारा कोई प्रविष्टि गलत दर्ज कर दी गयी है, तो आवेदक द्वारा दर्ज प्रविष्टियों में आवेदन पत्र अन्तिम रूप से पोर्टर पर आॅन लाइन सबमिट (ेनइउपज) करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है।

(5) आॅन लाइन शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत आवेदक द्वारा आॅन लाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन पश्चात करना अनिवार्य होगा।

(6) आवेदक द्वारा आवेदन के समय निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप के सभी कालमों को भरना अनिवार्य होगा।

(7) आवेदन पत्र के साथ आवेदक तथा आवेदक की पुत्री, जिसकी शादी की तिथि निर्धारित हो चुकी है, के आधार कार्ड, आवेदक का आय प्रमाण पत्र (यदि आवेदक बी0पी)एल0 सूची में है, तो संबंधित सूची की छायाप्रति), यदि सोशल सेक्टर की पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत आवेदक लाभान्वित हो रहा है, तो पेंशर्न आई0डी0 सहित पेंशन धारक होने के प्रमाण पत्र सहित संबंधित विवरण आॅन लाइन आवेदन पत्र में अंकित करना तथा संलग्नकों की छायाप्रति हार्डकापी के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। योजनान्तर्गत विधवा/विकलांग व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के मामलों में वरीयता दिये जाने की व्यवस्था है, अतः संबंधित आवेदकों को आवेदन पत्र में उक्त का विवरण अंकित करने के साथ साक्ष्य रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र या विकलांग होने पर सक्षम स्तर से निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना एवं आॅन लाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा सी)बी)स0 बैंक खाते में पासबुक (आ 0एफ0स0 कोड सहित) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। समस्त अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित/निशानी अगूंठायुक्त छायाप्रति ही अपलोड की जायेगी।

(8) लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैक आफ इण्डिया, राष्ट्रीयकृत बैकों अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंकों में खोला जाएगा, जो ''कोर बैंकिंग सिस्टम'' के अध न है, जिन्हें आई0एफ0एस0 कोड प्रदत्त है तथा 0फ0एम0स0 पर पंजीकृत है ताकि ई-पेमेन्ट के माध्यम से उनके खातें में सीधे धनराशि अंतरित की जा सके।

(9) आॅन लाइन आवेदन पत्र भरे जाने के उपरान्त संबंधित सेवा प्रदाता एजेन्सी के इस कार्य हेतु नामित कार्मिक द्वारा आवेदक को भरी गयी प्रविष्टियों के संबंध में पूरी जानकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पढ़कर सुनायी जायेगी एवं उसके संतुष्ट होने के उपरान्त ही उसके आवेदन पत्र को सबमिट किया जायेगा।

(10) □□□□□ □ □□क आन लाइन सबमिट स्वः हस्ताक्षरित/निशानी अगूंठा युक्त आवेदन पत्र तथा अपलोड किये गये सभी आवश्यक स्वः हस्ताक्षरित/निशानी अगुंठा युक्त संलग्नकों यथा आधार कार्ड, आय प्रमाण प , जाति प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, शादी की तिथि निर्धारित होने का प्रमाण पत्र, विधवा/विकलांग होने की स्थिति में तदसंबंधी प्रमाण पत्र एवं बैक खाता संबंधी प्रपत्र का प्रिन्ट आउट लेकर उसे अपने पास रखेगें।

(11) आवेदक सत्यापन कर्ता अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट पर अपने हस्ताक्षर/निशानी अगंूठा लगाकर प्रमाणित कर सत्यापनकर्ता अधिकारी को उपलब्ध करायेगें ताकि उसकी प्राप्ति रसीद अपने पास रखेगें।

उपरोक्त शासनादेश स0- 1941/52-3-16-□□(35)/2016 दिनांक 29.6.2016 □□□□□ तक संशोधित समझा जाय। शेष व्यवस्था यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

संख्या-2021(1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-

1. □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, □□□□□
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिक , राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0 □□□□□
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याप , □0प्र0□
5. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(□□0 अरविन्द कुमार चैरसिया)
विशेष सचिव।

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in